कार्यालयःउप परिवहन नियंत्रक(तक.), हरियाणा राज्य परिवहन, केन्द्रीय कर्मशाला, करनाल।
आऊटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लघु अवधि के लिये अनुबन्ध आधार पर चालक प्रशिक्षण केन्द्रीय कर्मशाला, करनाल में इंस्ट्रक्टर नियुक्त करने बारे।

चालक प्रशिक्षण स्कूल केन्द्रीय कर्मशाला, करनाल में भारी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने हेतु हरियाणा राज्य परिवहन से सेवा–निवृत्त चालकों को इंस्ट्रक्टरों के 8 पदों पर नियुक्ति बारे तीन माह के लिये हरियाणा सरकार द्वारा जारी आऊट–सोर्सिंग पार्ट–II के तहत आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इन्हें मासिक भत्ता आऊटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट–II की नवीनतम हिदायतों अनुसार दिया जायेगा। योग्य उम्मीदवार जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो दिनांक 30–11–2018 को प्रातः 10–00 बजे तक अपने प्रमाण–पत्र तथा चालक लाईसैंस सहित पहुंचें।

1 उम्मीदवार हरियाणा राज्य परिवहन से सेवा–निवृत्त जिसकी आयु 58 वर्ष से अधिक और 62 वर्ष से कम हो, मान्य होगा। प्रमाण का दस्तावेज साथ संलग्न करें।
2 उम्मीदवार शारीरिक तौर पर फिट हो। चयनित उम्मीदवारों को उपस्थिति देने के पूर्व सिविल सर्जन करनाल से मैडिकल फिटनैस प्रमाण पत्र देना होगा।
3 उम्मीदवार के पास भारी वाहन चलाने का वैध लाईसैंस होना चाहिये(कॉपी आवेदन के साथ संलग्न करें।
4 नियुक्ति के समय उम्मीदवार को केवल साप्ताहिक विश्राम दिया जायेगा।
5 यदि उनका कार्य सन्तोषजनक न पाया गया तो उसे बिना नोटिस के हटा दिया जायेगा।
6 उम्मीदवारो के आवेदन दिनांक 30–11–18 को प्रातः 10–00 बजे तक कार्यालय में पहुंच जाने चाहियें दि0 30–11–18 को प्रातः 10–00 बजे के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
7 सभी आवेदकों को अपने असल दस्तावेजों के साथ कार्यालय में उपस्थित होना है।

उप परिवहन नियंत्रक(तक,),
हरि0रा0परि0 केन्द्रीय कर्मशाला,
करनाल।